तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोविन्द सिंह बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 57/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/2024	अपीलार्थी गोविन्द सिंह निवासी ग्राम पोस्ट डिगवाडा, राजगढ ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2024 में वर्णित बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोकं सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 2043 दिनांक 20.08.2024 से बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फलौदी से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्रांक 1815 दिनांक 16.05.2024 द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फलौदी को अंतरित की गई, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में चाही गई सूचना हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शिक्षा विभाग से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फलौदी को अंतरित/स्थानान्तरित कर दी गई। अतः मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फलौदी (लोक सूचना अधिकारी) द्वारा सूचना नही दी गई तो प्रार्थी उनके प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	